ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – मई 2022 ।। अंक – 10

अन्दर के पृष्ठों में...

घर की दहलीज
नहीं बांध सकी मीना के सपनों को
(पृष्ठ – 02)

योजना से मिली सहायता,
सुलेखा में आई आत्मनिर्भरता
(पृष्ठ – 03)

पूर्णियाँ में
सतत् जीविकोपार्जन योजना
की गतिविधियों की एक झलक
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने संवारा जीवन

बिहार में पूर्ण मद्यनिषेध के क्रियान्वयन के उपरांत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 अप्रैल 2018 को ''सतत् जीविकोपार्जन योजना'' प्रारंभ की गयी। इसके बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 5 अगस्त 2018 को इस योजना की औपचारिक शुरुआत की गई। देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को भी सतत् जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की पहल की जा रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे परिवारों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। योजना के सहयोग से समाज की मुख्य धारा से कटे एवं बेहद दयनीय स्थिति में जीवन–यापन करने वाले अत्यंत निर्धन परिवारों को विकास के रास्ते पर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। योजना से मिली मदद से एक लाख से ज्यादा परिवारों के जीवन में आशा का संचार हुआ है।

जीविका ग्राम संगठन के माध्यम से गांवों में सर्वे कर अब तक 1 लाख 44 हजार 198 परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया है। जीविका द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े कुल 84,762 परिवारों की पहचान की गई है, जो परंपरागत रूप से ताड़ी एवं देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े थे। इनमें से योग्य 37,863 परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना में शामिल किया जा चुका है एवं 46,898 परिवारों को जीविका समूहों से जोड़ा गया है। इन परिवारों के अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धन परिवारों को भी सतत जीविकोपार्जन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक कुल 1 लाख 44 हजार 198 परिवारों को योजना में शामिल किया गया है।

चयनित परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़ने हेतु संबंधित ग्राम संगठनों के माध्यम से परिसंपत्तियों का निर्माण कर उन्हें हस्तांतरित किया जा रहा है। अबतक 1,16,209 परिवारों को जीविकोपार्जन निवेश निधि (एल.आई.एफ.) की राशि उपलब्ध कराई गई है एवं 1,09,602 परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि (एल.जी.ए.एफ) उपलब्ध कराई जा चुकी है। योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराए जाने से इन परिवारों द्वारा अपने उद्यम की स्थापना एवं इसका विधिवत संचालन किया जाने लगा है। योजना से जुड़ाव के बाद उन परिवारों में आत्मविश्वास का निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन हेतु सभी परिवारों को उद्यमिता विकास एवं क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक चयनित कुल परिवारों में से 1,25,602 परिवारों को प्रशिक्षित कर उनका क्षमतावर्द्धन किया गया है। प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप आज इन परिवारों द्वारा सफलतापूर्वक अपने उद्यम का संचालन किया जा रहा है।

उद्यम संचालन में तकनीकी मदद पहुंचाने तथा लेखा–बही के नियमित संधारण हेतु प्रति 30 से 35 परिवारों पर एक मास्टर रिसोर्स पर्सन (एम.आर.पी.) कार्यरत है। परियोजना द्वारा अब तक कुल 3769 एम.आर.पी. का चयन किया गया है, जिनमें से 3506 एम.आर.पी. को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये प्रशिक्षित एम.आर.पी. दैनिक आधार पर योजना से जुड़े परिवारों को कारोबार के संचालन एवं उसे आगे बढ़ाने में मदद पहुंचा रहे हैं।

घर की दहलीज नहीं बांध सकी मीना के सपनों को

औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के मखदुमपुर गांव निवासी मीना कुमारी सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत मास्टर संसाधन सेवी के रूप में साल 2018 से कार्य कर रही हैं। मीना साल 2014 में जीविका के आरती समूह से जुड़ी थी और जीविका मित्र के बाद अब सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत मास्टर संसाधन सेवी के रूप में कार्य करते हुए 31 परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए काम कर रही हैं। मीना के पति सुनील कुमार गांव में ही कंपाउंडर का काम करते हैं।

मीना ने जीविका समूह से जुड़ने के बाद जीविका मित्र के रूप में काम करना शुरू किया और साल 2018 में सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत मास्टर संसाधन सेवी के रूप में चयनित होकर काम प्रारंभ किया।

मीना बताती है कि देसी शराब के कारोबार से जुड़े परिवार और ताड़ी बिक्री कर अपनी आजीविका चलाने वाले परिवारों की दयनीय स्थिति देखकर दिल भर आता था। ऐसे में सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत विशेष निधि देकर इन परिवारों को आर्थिक रूप से सबल करने का काम मुझे बेहद सुकून देने लगा। ऐसे परिवारों की देखरेख के बाद अलग–अलग तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से लाभार्थियों के विकास की गति को तेज किया गया।

रफीगंज प्रखंड में ताड़ी की बिक्री आम बात थी। सतत जीविकोपार्जन योजना के आने के बाद इस कारोबार से लोगों ने नाता तोड़ा और समाज की मुख्यधारा में खुद को जोड़ते हुए जीविकोपार्जन के अलग–अलग गतिविधियों को अपनाया। कोई बकरी पालन, किराना दुकान तो कोई अंडा दुकान जैसे छोटे छोटे कारोबार कर अपने सामाजिक और आर्थिक विकास की रफ्तार को सुदृढ़ किया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना का मिला सहारा

पिंकी देवी, पूर्वी चम्पारण के मेहसी प्रखण्ड के कनकटी ग्राम के निवासी है। उनके पति पहले ताड़ी का व्यापार करते थे। परन्तु ताड़ के पेड़ से गिरकर विकलांग हो गए। जिससे परिवार की आय का कोई भी स्रोत नहीं रहा। ताड़ी के व्यापार से रोज की 100 से 150 रू. की आमदनी हो जाती थी। परन्तु दुर्घटना के बाद स्थिति और खराब हो गयी। 6 सदस्यों के परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो गया। सारी जिम्मेदारी पिंकी देवी पर आ गई। तभी जीविका मित्र के सहयोग से पिंकी सरस्वती जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ी। इसी दौरान जगदम्बा ग्राम संगठन द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन किया गया और पिंकी देवी का चयन SJY लाभार्थी के रूप में हुआ। जुलाई 2018 में SJY से जुड़ी और फरवरी 2019 जीविकोपार्जन निवेश निधि के रूप में 20000 रू. का उत्पादक संपत्ति और अंतराल राशि प्रति माह 1000 रू0 सात माह तक मिला। इन राशि की मदद से पिंकी ने किराना की दुकान खोली। जिससे प्रतिदिन 800 रू. की बिक्री होती है और 200 से 300 रू. की आमदनी हो जाती है, जिससे परिवार का पालन–पोषण हो जाता है। जुलाई 2020 में विशेष निवेश निधि के 10000 रू. से दीदी ने दुकान बनवाई। पिंकी दीदी ने अपनी बचत से बैंक में 5000 रू. जमा की है और एक बकरी भी खरीदी है। जिससे अभी उनके पास तीन बकरी है। दीदी ने जीविका के सहयोग से अपना बीमा भी करवाया है। अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ उन्हें मिल रहा है। उनके घर में स्वच्छ जल की उपलब्धता है। पिंकी देवी भविष्य में अपने दुकान को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ बकरी पालन को भी आगे बढ़ाना चाहती हैं। दीदी की इच्छा है कि उनके बच्चे पढ़कर आगे बढ़े, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। साथ ही जीविका परियोजना के तहत सतत् जीविकोपार्जन योजना कार्यक्रम के लिए बिहार सरकार का सादर धन्यवाद करती है। कहती है कि यदि सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत उन्हें सहारा नहीं मिला होता तो आज उनकी जिन्दगी बसर करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता।

योजना से मिली सहायता
सुलेखा में आई आत्मनिर्भरता

सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड अन्तर्गत विशनुपर शिवराम पंचायत की रहने वाली सुलेखा देवी के पति की मौत 8 वर्ष पूर्व पीलिया बीमारी की वजह से हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद सुलेखा देवी का जीवन दुखमय हो गया। पति के देहांत के बाद उसके घर कमाने वाला कोई नहीं रहा। इससे परिवार में तंगहाली के दिन आए गए। यहां तक कि उसे अपने परिवार का पेट भर पाना भी मुश्किल हो गया था।

इसी बीच विशनुपर शिवराम पंचायत में SJY योजना हेतु योग्य परिवारों की पहचान की जा रही थी। तब सुलेखा देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए ग्राम संगठन ने उसका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज कर लिया। इसके बाद जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए उसे दिसंबर 2020 में योजना के तहत कुल 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। ग्राम संगठन ने इस धनराशि से परिसंपत्ति का निर्माण कर उसे सुलेखा देवी को हस्तांतरित किया। इसके बाद उसने मुख्य मार्ग के किनारे किराना दुकान प्रारंभ किया। नई आजीविका प्रारंभ करने के उपरान्त उसे एल.जी.एफ. के तहत सात माह तक एक–एक हजार रुपये दिए गए, जिससे वह घर की जरूरतें पूरी कर सकें। सुलेखा देवी को किराना की दुकान से अच्छी आय होने लगी है। दुकान की आय से उसने 2 बकरियां भी खरीदी। इन बकरियों ने 2–2 बच्चों को जन्म दिया, जिससे बकरियों की कुल संख्या 6 हो गई है। इसके अलावा उसने 6 हजार रुपये में एक गाय खरीदी है, जो करीब 2 लीटर दूध देती है। इस प्रकार सुलेखा देवी को इस आजीविका से प्रतिमाह औसतन 5 से 6 हजार रुपये तक की आमदनी होने लगी है। इस आमदनी से अब वह न केवल अपने घर की जरूरतें पूरी करती हैं बल्कि उसने कुछ पैसे बचत कर बैंक में भी जमा किया है।

क्षमतावर्द्धन एवं उद्यम विकास से आया आर्थिक सशक्तीकरण

पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत धमदाहा प्रखण्ड के अंडीटोल गाँव में होपनमय देवी की शादी 26 वर्ष पहले गुलटेन किस्कु से हुई थी। उनकी शादी के 4 वर्ष ही हुए थे कि उनके पति मानसिक रुप से बीमार हो गए। उनके परिवार का भरण – पोषण देशी शराब एवं ताड़ी के कारोबार से होता था। इस बीच बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी कर दिया गया। शराबबंदी के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई।

उनके हालात को देखते हुए सागर जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा होपनमय देवी का चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में किया गया। क्षमतावर्द्धन एवं उद्यम विकास पर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान व्यापार करने के लिए सिखाया गया। प्रशिक्षण के बाद ग्राम संगठन द्वारा जीविकोपार्जन निवेश निधि की 20,000 रुपये से होपनमय देवी के किराना दुकान की शुरूआत की गयी। विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये की राशि से उनके घर को रहने योग्य बनाया गया। बारिश का पानी से बचाव हेतु घर के छत का निर्माण किया। इसके अलावा सात महीने तक एक हजार रूपये प्रति माह घर चलाने व खाने के लिए भी दिया गया। किराना दुकान की आमदनी में से बचत कर उसने एक बछिया खरीदी। कुछ दिनों तक पालने के बाद गाय ने एक बछिया को जन्म दिया। दूध बिक्री से आमदनी में बढ़ोतरी हुई। इससे उसने चार बकरी खरीदी, जिसकी संख्या अब बढ़कर 7 हो गई है। जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 28,000 रुपये है। दुकान में भी बिक्री अच्छी हो रही है। किराना सामान के अलावा अंडा एवं आमलेट भी बिक्री करती है। 10,000 रूपये में 10 कट्टा जमीन भरना पर लेकर खेती कर रहीं हैं। इस तरह उन्हें दुकान पशुपालन और खेती से हर माह औसतन 5000 से 6000 रूपये आमदनी हो जाती है। अब उनके परिवार के सभी सदस्यों को दोनों वक्त का भोजन और पहनने के लिए अच्छा कपडा मिल रहा है।

पूर्णियाँ में सतत् जीविकोपार्जन योजना की गतिविधियों की एक झलक

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के पूर्व देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा ब्रिकी में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समुदायों के निर्धन परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार द्वारा 5 अगस्त, 2018 को राज्य के 16 जिलों में सतत् जीविकोपार्जन योजना शुरू की गई। इन 16 जिलों में पूर्णियाँ भी शामिल है।

शुरुआत में पूर्णियाँ जिले के धमदाहा एवं बनमनखी प्रखंड में सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत कार्य प्रारंभ किया गया। योजनान्तर्गत अत्यंत निर्धन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समुदायों के निर्धन परिवारों की पहचान करने में शुरुआत से ही जीविका के ग्राम संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ग्राम संगठनों द्वारा सामुदायिक साधन सेवियों की सहयोग से सभी गांवों में लक्षित परिवारों का चयन हेतु सर्वेक्षण किया गया एवं सर्वेक्षण के उपरांत अति निर्धन परिवारों की पहचान निर्धारित मापदडों एवं ग्राम संगठन की दीदियों द्वारा की गई।

सभी चयनित लाभार्थियों की क्षमता, बाज़ार की माँग एवं परिवार के अनुभव के आधार पर सूक्ष्म नियोजन मास्टर संसाधन सेवी द्वारा किया जाता है। इस सूक्ष्म–नियोजन का अनुमोदन ग्राम संगठन द्वारा किया जाता है। लक्षित परिवार की माँग के अनुसार उसके सम्बंधित बैंक खाता में ग्राम संगठन को वित्तीय राशि जिला परियोजना इकाई द्वारा भेजी जाती है। जीविकोपार्जन गतिविधियों के लिए प्रत्येक परिवार को जीविकोपार्जन अन्तराल राशि, जीविकोपार्जन निवेश निधि एवं विशेष निवेश निधि भी प्रदान की जाती है।

योजनान्तर्गत जीविकोपार्जन एवं आय से संबंधित गतिविधि हेतु लक्षित परिवारों को उद्यम संचालन एवं मनोबल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। चयनित लाभार्थियों को वैकल्पिक रोजगार हेतु किराना एवं श्रृंगार की छोटी दुकानें,चाय एवं नाश्ते की दुकान, मत्स्य, बकरी पालन एवं मुर्गी पालन, कृषि संबंधित गतिविधियां और स्थानीय तौर पर जिसमें उनकी रुचि हो या जो उन्हें उपयुक्त लगता हो उससे उन्हें जोड़ा गया। रोजगार उपलब्ध कराने के बाद व्यवसाय से अच्छी आय का सृजन होने तक लगातार 7 माह तक प्रति माह एक–एक हजार रुपये जीविकोपार्जन अंतराल राशि के रुप में भी प्रदान किया गया। पंचायत स्तर पर लाभुकों को व्यवसाय संचालन में एम॰आर॰पी॰ द्वारा नियमित सहयोग किया जा रहा है।

धमदाहा एवं बनमनखी प्रखंड में सतत् जीविकोपार्जन योजना के सफलता को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से जिले के अन्य प्रखंडों में इसका विस्तार किया गया। वर्ष 2019 में जलालगढ़, पूर्णियाँ पूर्व, रुपौली, कृत्यानंद नगर एवं श्रीनगर तथा वर्ष 2020 में कसबा, भवानीपुर एवं डगरुआ में प्रारंभ किया गया। शेष 4 प्रखंडों यथा अमौर, बैसा, बायसी एवं बड़हरा कोठी वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया। इस प्रकार अब जिले के सभी 14 प्रखंडों में सतत् जीविकोपार्जन योजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन किया जा रहा है।

जिले में सतत् जीविकोपार्जन योजना से अब तक 4731 अति निर्धन परिवारों का चयन किया गया है, जिनमें से 743 पूर्व में ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं 143 पूर्व में देशी शराब के उत्पादन तथा ब्रिकी में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार तथा 1881 अनुसूचित जाति के अत्यंत निर्धन परिवार एवं 518 अनुसूचित जनजाति के अत्यंत निर्धन परिवार के अलावा अन्य समुदायों के 1446 निर्धन परिवारों को जोड़ा गया है। इनमें से 3950 लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु सहयोग प्रदान किया गया है, जिसमें से 3382 परिवारों का दुकान (सूक्ष्म उद्यम) शुरू कराया गया है एवं 568 परिवारों को पशुपालन गतिविधि से जोड़ा गया है। रोजगार से हुए आमदनी में से बचत के पैसे से 356 परिवार सूद भरना/पट्टा पर जमीन लेकर खेती भी कर रहे हैं।

सभी चयनित परिवारों का सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव कराया जा रहा है। स्थायी आजीविका गतिविधि से जुड़ने के बाद ये परिवार न केवल समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं बल्कि इनके जीवन में खुशहाली एवं बदलाव आ रहा है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी –परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री हिमांशु पाहवा – प्रबंधक गैर कृषि